

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## :: प्रारूप – 6 ::

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

राजस्थान शिक्षा सेवा (स्कूल शिक्षा) विषय- भूगोल के व्याख्याता का, संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग, उदयपुर द्वारा सेवा नियम 1951 के उप नियम-56 के तहत वरिष्ठ अध्यापक पद से सेवानिवृत्त आदेश जारी किया गया था, तत्पश्चात कार्मिक व्याख्याता के पद पर पदस्थापित हुए हैं। प्रारूप-6 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक:एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28.12.1998 प.1 (6) वित्त/नियम 98 दिनांक 24.05.2004 एवं प.12(6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24.03.2015 के द्वारा संशोधित नियमान्तर्गत जारी कर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्यारे लाल कुमावत (व्याख्याता भूगोल) के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) के नियम- 19 के अधीन कोई प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



*(Handwritten Signature)*  
27/12/21  
(काना राम)

आई.ए.एस.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/सेवानिवृत्ति/2020-21/210  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रहित:-

दिनांक:- 27/12/2021

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
3. संबंधित जिला शिक्षा (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित प्रधानाचार्य...../ संबंधित कार्मिक.....
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका।

*(Handwritten Signature)*  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर